

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :- डॉ. साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या
426/2021

जीसीएमएस संख्या
2021/243

दायर दिनांक
28.09.2021

निर्णय दिनांक
06.04.2026

शीर्षक

- 1- चिरंजीलाल पुत्र प्रभूदयाल
 - 2- धूणी देवी पत्नि स्व० बनवारीलाल
 - 3- सुनिल दत्तक पुत्र स्व० बनवारीलाल समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम जोधपुरा तहसील पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान
- वादीगण
बनाम

- 1 अजय पुत्र सायरमल
- 2 कमला देवी पति सायरमल
- 3 नवरंग पुत्र सायरमल
- 4 प्रेमचन्द पुत्र सायरमल
- 5 पिकी पुत्री सायरमल
- 6 लक्ष्मी पुत्री सायरमल
- 7 प्रहलाद पुत्र प्रभूदयाल (फौत)
- 7/1 महेन्द्र
- 7/2 प्रकाश पुत्रान स्व. प्रहलाद
- 7/3 हंसा
- 7/4 कोयली



7/5 उर्मिला पुत्रीयान स्व. प्रहलाद समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम जोधपुरा तहसील पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा
9. सब रजिस्ट्रार महोदय सब रजिस्ट्रार कार्यालय पावटा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

1. वादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सैनी व उपवन सैनी के द्वारा वादपत्र निम्नानुसार पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 191/0.44, 193/0.43, 206/0.34, 211/0.12, 215/0.85, 216/0.59 कुल किता 06 कुल रकबा 2.77 वाकै मौजा जोधपुरा तहसील पावटा जिला-जयपुर हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़ में स्थित है उपरोक्त आराजी मुतदाविया से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया में आपसी सहमति के बंटवारे के अनुसार वादीगण के हिस्से में खसरा नम्बर 191/0.44, 193/0.43, 211/0.12 का सम्पूर्ण हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 01 लगायत 07 के हिस्से में खसरा नम्बर 206/0.34, 215/0.85, 216/0.59 आया है। तथा इसी घरेलू बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 01 लगायत 07 अपने अपने हिस्से पर अलग अलग काबिज होकर खातेदार काश्तकार है।

2. वादीगण द्वारा उपरोक्त आराजी मुतदाविया खसरा नम्बरान 191/0.44, 193/0.43, 206/0.34, 211/0.12, 215/0.85, 216/0.59 कुल किता 06 कुल रकबा 2.77 वाकै मौजा जोधपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़, के संबंध में तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया गया। दावा काबिले समात पाया जाना पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। बावजूद रजिस्टर्ड डाक सम्मन तामिल के बाद भी उपस्थित नहीं आने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के खिलाफ दिनांक 02.02.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी। दिनांक 23.09.2024 को वादी वकील ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

3. दिनांक 09.10.2024 को वादी की बहस उपरान्त प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी स्वीकार किया गया। संशोधित टाईटल पेश जो स्वीकार कर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 20.06.2025 को शेष प्रतिवादी सं. 05, 06, 7/1 से 7/5 बावजूद रजिस्टर्ड डाक के तामिल के अनुपस्थित रहे, इस कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा वकील वादी की एकपक्षीय बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 23.03.2026 को तहसीलदार पावटा से कुर्रैजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। वकील वादी ने तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार वाद का डिक्री फरमाया जाने हेतू निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार वादपत्र अन्तिम निर्णय डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

4 अतः वादी का वादपत्र तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा नम्बर 191/0.44, 193/0.43, 206/0.34. 211/0.12, 215/0.85, 216/0.59 कुल किता 06 कुल रकबा 2.77 वाकै मौजा जोधपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है


क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	चिरंजीलाल पुत्र प्रभूदयाल हि. 1/2 जाति रैगर सा.देह धूणी देवी पत्नि स्व० बनवारीलाल हि. 1/4 जाति रैगर सा.देह सुनिल कुमार दत्तक पुत्र स्व० बनवारीलाल हि. 1/4 जाति रैगर सा.देह	193/0.43, 211/2/0.06, 216/1/0.45, 215/1/0.4125 हैक्ट0 भूमि
2	अजय पुत्र सायरमल हि. 1/12, कमला देवी पत्नि सायरमल हि. 1/12, नवरंग पुत्र सायरमल हि. 1/12, प्रेमचन्द पुत्र सायरमल हि. 1/12, पिकी पुत्री सायरमल हि. 1/12, लक्ष्मी पुत्री सायरमल हि. 1/12, महेन्द्र पुत्र प्रहलाद हि. 1/10, प्रकाश पुत्र प्रहलाद हि. 1/10, हंसा पुत्री प्रहलाद हि. 1/10, कोयली पुत्री प्रहलाद हि. 1/10, उर्मिला पुत्री प्रहलाद हि. 1/10 समस्त जाति रैगर (महेन्द्र, प्रकाश पुत्रान प्रहलाद, हंसा, कोयली, उर्मिला पुत्रीयान प्रहलाद राहिन JTGB प्रागपुरा)	191/0.44, 211/1/0.06, 216/3/0.1050, 215/2/0.4075, 206/0.34 हैक्ट0 भूमि।
3	अजय पुत्र सायरमल हि. 1/24, कमला देवी पत्नि सायरमल हि. 1/24, चिरंजीलाल पुत्र प्रभूदयाल हि. 1/4, धूणी देवी पत्नि स्व० बनवारीलाल हि. 1/8, नवरंग पुत्र सायरमल हि. 1/24, प्रेमचन्द पुत्र सायरमल हि. 1/24, पिकी पुत्री सायरमल हि. 1/24, लक्ष्मी पुत्री सायरमल हि. 1/24, सुनिल कुमार दत्तक पुत्र स्व० बनवारीलाल हि. 1/8, महेन्द्र पुत्र प्रहलाद हि. 1/20, प्रकाश पुत्र प्रहलाद हि. 1/20, हंसा पुत्री प्रहलाद हि. 1/20, कोयली पुत्री प्रहलाद हि. 1/20, उर्मिला पुत्री प्रहलाद हि. 1/20 जाति रैगर सा.देह (महेन्द्र, प्रकाश पुत्रान प्रहलाद, हंसा, कोयली, उर्मिला पुत्रीयान प्रहलाद राहिन JTGB प्रागपुरा)	216/2/0.0350, 215/3/0.03 हैक्ट भूमि।



उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड)

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावे। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

()
(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपतली-बहरोड)
पावटा (कोटपतली-बहरोड)



मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)
वाद पत्र संख्या जीसीएमएस संख्या दायर दिनांक निर्णय दिनांक
426/2021 2021/243 28.09.2021 06.04.2026

शीर्षक

- 1- चिरंजीलाल पुत्र प्रभूदयाल
2- धूणी देवी पत्नि स्व० बनवारीलाल
3- सुनिल दत्तक पुत्र स्व० बनवारीलाल समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम जोधपुरा तहसील पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान **वादीगण**
बनाम

- 1 अजय पुत्र सायरमल
2 कमला देवी पत्नि सायरमल
3 नवरंग पुत्र सायरमल
4 प्रेमचन्द पुत्र सायरमल
5 पिकी पुत्री सायरमल
6 लक्ष्मी पुत्री सायरमल
7 प्रहलाद पुत्र प्रभूदयाल (फौत)
7/1 महेन्द्र
7/2 प्रकाश पुत्रान स्व. प्रहलाद
7/3 हंसा
7/4 कोयली



7/5 उर्मिला पुत्रीयान स्व. प्रहलाद समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम जोधपुरा तहसील पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा
9. सब रजिस्ट्रार महोदय सब रजिस्ट्रार कार्यालय पावटा **प्रतिवादीगण**
दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

अतः वादी का वादपत्र तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा नम्बर 191/0.44, 193/0.43, 206/0.34, 211/0.12, 215/0.85, 216/0.59 कुल कित्ता 06 कुल रकबा 2.77 वाकै मौजा जोधपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	चिरंजीलाल पुत्र प्रभूदयाल हि. 1/2 जाति रैगर सा.देह धूणी देवी पत्नि स्व० बनवारीलाल हि. 1/4 जाति रैगर सा.देह सुनिल कुमार दत्तक पुत्र स्व० बनवारीलाल हि. 1/4 जाति रैगर सा.देह	193/0.43, 211/2/ 0.06, 216/1/0.45, 215/1/0.4125 हैक्ट0 भूमि
2	अजय पुत्र सायरमल हि. 1/12, कमला देवी पत्नि सायरमल हि. 1/12, नवरंग पुत्र सायरमल हि. 1/12, प्रेमचन्द पुत्र सायरमल हि. 1/12, पिकी पुत्री सायरमल हि. 1/12, लक्ष्मी पुत्री सायरमल हि. 1/12, महेन्द्र पुत्र प्रहलाद हि. 1/10, प्रकाश पुत्र प्रहलाद हि. 1/10, हंसा पुत्री प्रहलाद हि. 1/10, कोयली पुत्री प्रहलाद हि. 1/10, उर्मिला पुत्री प्रहलाद हि. 1/10 समस्त जाति रैगर (महेन्द्र, प्रकाश पुत्रान प्रहलाद, हंसा, कोयली, उर्मिला पुत्रीयान प्रहलाद राहिन JTGB प्रागपुरा)	191/0.44, 211/1/ 0.06, 216/3/0.1050, 215/2/0.4075, 206/ 0.34 हैक्ट0 भूमि।

3	<p>अजय पुत्र सायरमल हि. 1/24, कमला देवी पत्नि सायरमल हि. 1/24, घिरंजीलाल पुत्र प्रभूदयाल हि. 1/4, धूणी देवी पत्नि स्व० बनवारीलाल हि. 1/8, नवरंग पुत्र सायरमल हि. 1/24, प्रेमचन्द पुत्र सायरमल हि. 1/24, पिकी पुत्री सायरमल हि. 1/24, लक्ष्मी पुत्री सायरमल हि. 1/24, सुनिल कुमार दत्तक पुत्र स्व० बनवारीलाल हि. 1/8, महेन्द्र पुत्र प्रहलाद हि. 1/20, प्रकाश पुत्र प्रहलाद हि. 1/20, हंसा पुत्री प्रहलाद हि. 1/20, कोयली पुत्री प्रहलाद हि. 1/20, उर्मिला पुत्री प्रहलाद हि. 1/20 जाति रैगर सा.देह (महेन्द्र, प्रकाश पुत्रान प्रहलाद, हंसा, कोयली, उर्मिला पुत्रीयान प्रहलाद राहिन JTGB प्रागपुरा)</p>	<p>216/2/0.0350, 215/3/0.03 हैक्ट भूमि।</p>
---	--	---

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

डिक्री आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गयी।



(डॉ. साधना शर्मा, एस)
उपस्थान्त अधिकारी
पावटा (कोयली-बहेराड़)

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	